

ग्राम पंचायत गरनोटा, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 प्रस्तावना{क}:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गरनोटा विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति कान्ता देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति वीना देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति राधा देवी	01/2009 से 15-04-15
2.	श्री अंग्रेज सिंह	16-04-15 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {रुलाखों में}
1.	6.	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.55
2.	7.	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना।	0.27
3.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन।	24.32
4.	9	निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना।	विवरणानुसार
5.	11	मनरेगा के बिल/वाउचर न प्रस्तुत करना	विवरणानुसार
5.	12	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना क्रय करना	2.54
6.	13	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करना	4.77

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत गरनोटा , विकास खण्ड भटियात , तहसील सिहुन्ता , जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार खेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 21-09-2017 से 25 -09-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय गरनोटा में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 09 /14, 03/16 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 04/14,05/15 व 03/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत गरनोटा , विकास खण्ड भटियात , जिला चम्बा के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹4000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 213 दिनांक 25.9.2017 द्वारा सचिव,पंचायत गरनोटा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:- ग्राम पंचायत गरनोटा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत गरनोटा के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 तक स्व स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	88071	67003	155074	48150	106924
2015-16	106924	139365	246289	60284	186005
2016-17	186005	44523	230528	91808	138720

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत गरनोटा के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	909121	1600987	2510108	1536022	974086
2015-16	974086	1357076	2331162	1921026	410136
2016-17	410136	4211882	4622018	2190271	2431747

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	HPSCB sihunta	19010106068	757419
2.	----do-----	19010106453	99058
3.	----do-----	19010110680	35
4.	----do-----	19010108537	1707876
5.	----do-----	19010110683	5488
6.		CASH IN HAND	591
		TOTAL	2570467

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹2570467

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹2570467

4.2 रोकड़ वही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत गरनोटा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था। सचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ वही का बैंक पास बुकों के साथ मिलान नहीं किया गया था जोकि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया , जबकि हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः भविष्य में पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व की ₹0.55 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-17 तक पंचायत के राजस्व की ₹55420 वसूली हेतु शेष थी। इन राशियों को शीघ्र अति शीघ्र वसूल कर स्व स्त्रोत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	1210	12000	13210	13210	----
2015-16	----	24800	24800	22580	2220
2016-17	2220	24800	27020	-----	27020

दुकानों का किराया :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	00	12000	12000	2600	9400
2015-16	9400	18000	27400	23600	3800
2016-17	3800	30000	33800	5400	28400

7 प्राप्त अनुदानों से ₹ 0.27 लाख अधिक व्यय करना:-

पंचायत सचिव द्वारा गरनोटा द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान vkvny के शीर्ष के अन्तर्गत ₹26662 इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदान से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹26662 से अधिक व्यय किए गए। जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने

के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्रोत से उक्त राशि को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹24.32 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान ₹2431747 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत गरनोटा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए

8 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट -3 के अनुसार पत्थर की 4 ट्रालीयों की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो कि एक गम्भीर मामला है अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है अतः पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल ट्राली दर्शाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अनुपालना उपरान्त अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹500000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सभी निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 अनुचित रूप से ₹6023 का विक्रय-कर भुगतान करने बारे:-

वा सं 15 से 17 माह 06/16 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० कोहिनूर मारवल द्रमण से ₹49833 की टाइल,टॉयलेट सीट,व पाइप इत्यादि खरीदी गई उक्त खरीद से सम्बन्धित कुटेशनो की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मों द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में ₹6023 विक्रय कर अलग से वसूल किया गया। जो कि अनुचित था। अतः उक्त राशि को उत्तरदायी से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

11 मनरेगा निधि के बिल/वाउचर न प्रस्तुत करना :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के अंकेक्षण अवधि के बिल/वाउचर आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए जिसके आभाव में व्यय की राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इसके सन्दर्भ में इस विभाग के पत्र संख्या फिन (एल0ए0)एच(पंच) 15 (7) 12/2017-खण्ड-I दिनांक 28.10.2017 व जिला पंचायत अधिकारी चम्बा के पत्र संख्या 7757 दिनांक 13.11.2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध के दृष्टिगत कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अतः इन बिल/ वाउचरो को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.54 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹254357 के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत गरनोटा को अवगत करवाया गया। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय की गई ₹ 4.77 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्ट्रों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 पर ₹477345 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। जो कि

एक गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत गरनोटा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए निर्माण सामग्री का इन्द्राज खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उत्तरदायी से करके पंचायत निधि में जमा की जाए तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत गरनोटा को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

- 17 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
- 18 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(7) 12/2017 खण्ड-1-2061-2064 दिनांक 23.03.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- | | |
|---------|---|
| पंजीकृत | <ol style="list-style-type: none"> 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है। 2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र० 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि०प्र० 4 सचिव, ग्राम पंचायत गरनोटा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें। |
|---------|---|

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881